राजस्थान सरकार
बाल अधिकारिता विभाग
राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी

20/198, कावेरी पथ, सैक्टर–2, मानसरोवर, जयपुर।

क्रमांकः एफ 47 ( ) ( ) बा.अ.वि./आई.सी.पी.एस./पश्चातवर्ती देखभाल/दिशा–निर्देश/17/74372 दिनांकः 15/10/2020

आदेश

विषयः– पश्चातवर्ती देखरेख (After Care) कार्यक्रम दिशा–निर्देश, 2020 के क्रियान्वयन के संबंध में।

भारत सरकार द्वारा विधि से संघर्षरत बच्चों तथा देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की देखरेख, संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास सुनिश्चित करने हेतु किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 लागू किये गये हैं।

अधिनियम की धारा 2(5) के तहत् पश्चातवर्ती देखरेख को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है –

पश्चावर्ती देखरेख से उन व्यक्तियों की, जिन्होंने अठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली है, किन्तु इक्कीस वर्ष की आयु पुरी नहीं की है और जिन्होंने समाज को मुख्य धारा से जुड़ने के लिए किसी संस्थागत देखरेख का त्याग कर दिया हैं, वित्तीय और अन्यथा सहायता का उपबंध किया जाना अभिप्रेत है।

अधिनियम की धारा 46 के तहत् पश्चातवर्ती देखरेख के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान किये गये है –

किसी बालक के अट्ठारह वर्ष आयु पूरी करने पर किसी बालक देखरेख संस्था को छोड़ने पर बालक को समाज की मुख्य धारा में पुनः लाने को सुकर बनाने के लिए ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकेगी।

अधिनियम की धारा 46 एवं नियम 25 के अंतर्गत अधिनियम में निर्धारित श्रेणी के 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर संस्थागत देखरेख छोड़ रहे बच्चों (बालक/बालिकाओं) को शिक्षा, रोजगार हेतु कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराते हुए उनके समाज की मुख्यधारा में पुनर्समेकन को सुगम बनाने के लिए पश्चातवर्ती देखरेख (After Care) कार्यक्रम संचालित करने का प्रावधान किया गया है।

अधिनियम की मंशा के अनुरूप पश्चातवर्ती देखरेख (After Care) कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य संस्थागत देखरेख छोड़कर जाने वाले बच्चों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए विकास के विभिन्न माध्यमों से उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ना हैं।

उक्त के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा जारी समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी. एस.) के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के बाल देखरेख संस्थान (बाल गृह/खुला आश्रय/सम्प्रेक्षण

Scanned with CamScanner

गृह/विशेष गृह/सुरक्षित अभिरक्षा) में 18 वर्ष पूर्ण करने वाले बच्चों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु पश्चातवर्ती देखरेख (After Care) कार्यक्रम संचालित करने हेतु बजट एवं अन्य व्यवस्था निर्धारित की गई हैं। राज्य में पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से क्रियान्वित किया जायेगा।

पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. <u>उद्देश्य एवं आवश्यकता</u> ::

1. संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अधिवेशन, 1989 में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक उपबन्ध किए गए है।
2. संयुक्त राष्ट्र द्वारा बच्चों को वैकल्पिक देखभाल उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2009 में लागू किए गए दिशा–निर्देश में विभिन्न वैकल्पिक देखभाल कार्यक्रम (आफ्टर केयर सहित) शुरू करने पर जोर दिया गया है।
3. समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत् बाल देखरेख संस्थानों में 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने उपरान्त संस्थागत देखरेख छोडने वाले बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने, समाज की मुख्यधारा में पुनर्समेकन तथा उन्हें समाज में स्थापित कराने में सहयोग उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक प्रावधान किए गए है।
4. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 के तहत् बच्चों को समाज की मुख्यधारा में पुनर्समेकन एवं बच्चों को स्वावलम्बी बनाने हेतु व्यवसायिक, तकनीकी तथा उच्च शिक्षा की सुविधा, कौशल विकास इत्यादि सेवायें प्रदान करने के लिए आवश्यक प्रावधान किए गए है।

2. <u>पात्रता</u> ::

1. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के राजकीय/गैर राजकीय बाल देखरेख संस्थान में आवासरत बालक/बालिका जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है।
2. कार्यक्रम के तहत् बालक/बालिका को अधिकतम 21 वर्ष की आयु तक लाभान्वित किया जायेगा तथा अपवादात्मक परिस्थितियों में इसे 02 वर्ष तक और बढाया जा सकेगा।

3. <u>पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम में प्रदान की जाने वाली सेवाएं</u> ::

1. 06 से 08 बच्चों के समूहों के लिए अस्थाई आधार पर सामुदायिक सामूहिक आवास की व्यवस्था करना।
2. व्यवसायिक प्रशिक्षण के दौरान अनुदान या उच्चतर शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति एवं लाभार्थी को रोजगार मिलने तक सहायता करना।
3. राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम, भारतीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान और केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य ऐसे कार्यक्रमों तथा कॉरपोरेट इत्यादि के साथ समन्वय से कौशल प्रशिक्षण, व्यवसाय स्थापित करने की व्यवस्था करना।

Scanned with CamScanner

4. ऐसे व्यक्तियों की पुनर्वास योजनाओं के विषय में विचार–विमर्श करने के लिए उन्हें नियमित रूप से परामर्शदाता की सेवाएं उपलब्ध कराना।
5. उनकी ऊर्जा को सकारात्मक माध्यम से सही दिशा उपलब्ध कराने और उनके जीवन में आए संकटों से निपटने में उनकी सहायता हेतु सृजनात्मक कार्यकलापों की व्यवस्था करना।
6. पश्चातवर्ती देखरेख में रखे गए व्यक्ति के लिए उद्यमी कार्यकलापों की स्थापना हेतु ऋण एवं आर्थिक सहायता (सब्सिडी) की व्यवस्था करना।
7. राज्य अथवा संस्थागत सहायता के बिना जीवन–यापन के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना।

4. पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम के तहत् विभिन्न सेवाओं से बच्चों को जोड़ने की प्रक्रिया ::

1. बाल देखरेख संस्थान में आवासरत ऐसे बच्चे, जो आगामी 03 माह में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले हैं, को पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम से जोड़ने हेतु उनकी सूची मय आवश्यक विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी संबंधित बाल देखरेख संस्थान एवं जिला बाल संरक्षण इकाई की होगी।
2. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता के माध्यम से बच्चे के संस्थागत देखरेख छोड़ने के 02 माह पूर्व बच्चे की निर्मुक्ति पश्चात योजना (Post Release Plan) तैयार की जायेगी।
3. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा बच्चे की आवश्यकतानुसार बच्चे को पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम से जोड़ने हेतु निर्मुक्ति पश्चात योजना (Post Release Plan) सहित ऐसे बच्चों की सूची मय प्रारूप 43 में प्रकरण का विस्तृत विवरण तथा प्रारूप 07 में व्यक्तिगत देखरेख कार्य–योजना एवं इकाई की सिफारिश के साथ संबंधित बाल न्यायालय (चिल्ड्रन कोर्ट) या किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति को प्रेषित की जाएगी। इकाई द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त प्रस्ताव उचित निर्णय हेतु निर्मुक्त होने से कम से कम 02 माह पूर्व संबंधित बाल न्यायालय (चिल्ड्रन कोर्ट) या किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति के समक्ष पहुंच जाये।
4. बाल न्यायालय या किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति द्वारा बच्चे को पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम से जोड़ने के आदेश जारी करने से पूर्व साक्षात्कार के माध्यम से बच्चे की पश्चातवर्ती कार्यक्रम से जुड़ने में रूचि, व्यक्तिगत देखरेख कार्य–योजना इत्यादि का आंकलन कर इस संबंध में उचित आदेश पारित किये जायेगें।
5. बाल न्यायालय या किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति द्वारा संस्थागत देखरेख छोडकर जाने वाले बच्चे के संबंध में बच्चे के 21 वर्ष की आयु होने तक पश्चातवर्ती देखरेख प्राप्त करने हेतु प्रारूप 37 में आदेश किये जायेंगे। अपवादात्मक परिस्थितियों में बच्चे के 21 वर्ष की आयु हो जाने के पश्चात इस अवधि को 2 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता हैं। ऐसे प्रत्येक आदेश की प्रति संबंधित जिला बाल संरक्षण इकाई को प्रेषित की जायेगी।
6. बाल न्यायालय या किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति द्वारा बिन्दु संख्या 3 के उप–बिन्दु संख्या 1–6 तक वर्णित कार्यक्रमों से किन्हीं कारणों से नहीं जोड़ा जा सकता है, के संबंध में राज्य सरकार द्वारा एक मुश्त पुनर्वास आर्थिक सहायता जारी करने के संबंध में उपयुक्त आदेश पारित किया जायेगा।

Scanned with CamScanner

7. बाल न्यायालय या किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति के आदेश जारी होने पर संबंधित बाल देखरेख संस्थान द्वारा आवासरत बच्चे से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों की प्रति संबंधित जिला बाल संरक्षण इकाई को उपलब्ध कराई जायेगी।
8. संबंधित बाल देखरेख संस्थान द्वारा संस्थागत देखरेख से विमुख हो रहे बच्चे को उसकी तात्कालिक जरूरतों की पूर्ति के लिये नवीन वस्त्र, अन्य जरूरत का सामान एवं यात्रा किराया उपलब्ध कराया जायेगा।
9. जिला बाल संरक्षण इकाई की जिम्मेदारी होगी कि पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम के संबंध में जारी इन दिशा–निर्देशों के तहत् बच्चे को पश्चातवर्ती देखरेख सेवाओं से लाभान्वित कराया जायेगा।
10. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा शिक्षा, चिकित्सीय सहायता, पोषण, व्यवसायिक प्रशिक्षण इत्यादि क्षेत्र में बच्चों को स्वयं के संसाधनों से पश्चातवर्ती देखरेख प्रदान करने के इच्छुक संगठनों, संस्थाओं एवं व्यक्तियों की भी सूची तैयार की जायेगी तथा इसे बाल न्यायालय, किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के साथ साझा किया जायेगा।
11. बाल न्यायालय, किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति एवं जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम से जोड़े गये बच्चों का रजिस्टर संधारित किया जायेगा।

<u>बिन्दु संख्या 3 के उप–बिन्दु – 1 से 6 तक</u>

- **सामुदायिक सामूहिक आवास की व्यवस्था।**
- **बच्चों की ऊर्जा को सकारात्मक माध्यम से सही दिशा उपलब्ध कराने और उनके जीवन में आए संकटों से निपटने में उनकी सहायता हेतु सृजनात्मक कार्यकलापों की व्यवस्था।**

1. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम के कियान्वयन हेतु चिन्हित संगठन/संस्था द्वारा सामुदायिक सामूहिक आवास की व्यवस्था का संचालन किया जायेगा।
2. किसी सामुदायिक सामूहिक आवास में अधिकतम 08 बच्चे (01 यूनिट) आवासरत हो सकेंगे।
3. संगठन/संस्था द्वारा सामुदायिक सामूहिक आवास की 01 यूनिट के लिये चिन्हित स्थान में न्यूनतम मापदण्ड के रूप में प्रत्येक 02 बच्चों पर 150 वर्गफीट एरिया, पर्याप्त रोशनी एवं हवादार आवास कक्ष, 01 बाथरूम एवं शौचालय तथा 01 रसोईघर होना आवश्यक होगा।
4. सामुदायिक सामूहिक आवास के संचालन करने वाले संगठन/संस्था द्वारा एक समय में बच्चों के लिए पृथक–पृथक स्थान पर अधिकतम 02 यूनिट संचालित की जा सकेगी।
5. बाल देखरेख संस्थान का संचालन करने वाली कोई संगठन/संस्था के चयन होने की स्थिति में संगठन/संस्था द्वारा सामुदायिक सामूहिक आवास की व्यवस्था का संचालन बाल देखरेख संस्थान से पृथक किसी अन्य स्थान पर किया जायेगा।

Scanned with CamScanner

6. संगठन/संस्था द्वारा बालक–बालिकाओं के लिए पृथक–पृथक सामुदायिक सामूहिक आवास की व्यवस्था की जायेगी।
7. संगठन/संस्था द्वारा सामुदायिक सामूहिक आवास में केवल बाल न्यायालय या किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति के आदेश से ही बच्चों को प्रवेश दिया जायेगा।
8. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा ऐसे बच्चे, जिन्हें पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम के तहत् सामुदायिक सामूहिक आवास के लिए चिन्हित किया गया है, को उनके आवास, भोजन की व्यवस्था, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सामान, वस्त्र इत्यादि के लिए आर्थिक सहायता रूप में संबंधित बच्चे के बैंक बचत खाते के माध्यम से मासिक स्तर पर निर्धारित राशि उपलब्ध कराई जायेगी।
9. संगठन/संस्था द्वारा बच्चों की ऊर्जा को सकारात्मक माध्यम से सही दिशा उपलब्ध कराने और उनके जीवन में आए संकटों से निपटने में उनकी सहायता हेतु सृजनात्मक कार्यकलापों की व्यवस्था की जायेगी।
10. संगठन/संस्था द्वारा बच्चों को उनकी अभिरूचि एवं जरूरतों के आधार पर बिन्दु संख्या 3 के उप–बिन्दु संख्या 2–6 तक वर्णित कार्यक्रमों से जोड़ा जायेगा।
11. सामुदायिक सामूहिक आवास में रहने वाले प्रत्येक बच्चे का बिन्दु संख्या 3 के उप–बिन्दु संख्या 2–6 तक वर्णित कार्यक्रमों में से कम से कम किन्हीं 01 कार्यक्रम में जुड़ना आवश्यक होगा।
12. संगठन/संस्था द्वारा सामुदायिक सामूहिक आवास व्यवस्था के संचालन के संबंध में राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों की पालना की जायेगी।

- **व्यवसायिक प्रशिक्षण के दौरान अनुदान या उच्चतर शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति एवं लाभार्थी को रोजगार मिलने तक सहायता।**
- **कौशल प्रशिक्षण, व्यवसाय स्थापित करने की व्यवस्था।**
- **उद्यमी कार्यकलापों की स्थापना हेतु ऋण एवं आर्थिक सहायता (सब्सिडी) की व्यवस्था।**

1. पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम के तहत् बिन्दु संख्या 3 के उप–बिन्दु संख्या 2, 3 एवं 6 के कियान्वयन के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा बच्चे को निर्धारित अनुदान/आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।

उच्च शिक्षा के लिए अनुदान/आर्थिक सहायता

2. संगठन/संस्था द्वारा बच्चे को उनकी योग्यता एवं इच्छित रोजगारोन्मुखी उच्च/तकनीकी शिक्षा (स्नातक/स्नातकोत्तर इत्यादि) उपलब्ध कराई जायेगी। इस प्रयोजन हेतु संबंधित बच्चे को संबंधित जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से अनुदान/आर्थिक सहायता मुहिया कराई जायेगी।
3. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा बच्चे की उच्च शिक्षा हेतु संबंधित शिक्षण संस्थान को निर्धारित फीस का भुगतान किया जायेगा। यदि बच्चे द्वारा संबंधित संस्थान की हॉस्टल व निर्धारित अन्य कोई सुविधा/फीस (मैस फीस, ट्रांसपोर्ट, अनुरक्षण भत्ता, स्पोटर्स,

Scanned with CamScanner

स्टेशनरी, ड्रेस फीस इत्यादि) प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की जाती है, तो उसका भी भुगतान जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा किया जायेगा। बच्चे के संस्थान की हॉस्टल की सुविधा प्राप्त करने पर उसे सामुदायिक सामूहिक आवास व्यवस्था से पृथक कर दिया जायेगा।

4. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/तकनीकी शैक्षणिक संस्थान के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने पर ही अनुदान/आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।
5. बच्चे को उच्च शिक्षा के लिए अनुदान/आर्थिक सहायता हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार की अन्य प्रचलित योजनाओं से लाभान्वित कराया जा सकेगा।
6. संगठन/संस्था द्वारा बच्चे को उच्च शिक्षा/प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी हेतु राज्य सरकार की निःशुल्क कोचिंग संबंधी योजनाओं से लाभान्वित करवाया जायेगा।

व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था

7. संगठन/संस्था द्वारा पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम के तहत् बच्चों की योग्यता एवं रूचि के अनुसार रोजगारोन्मुखी व्यवसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जायेगा।
8. संगठन/संस्था द्वारा पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम के तहत् बच्चे की योग्यता एवं रूचि के अनुसार राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम/राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (आर.के.सी.एल.)/जन शिक्षण संस्थान/आद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थान अथवा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण प्रदाताओं के माध्यम से संचालित व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जोड़ा जायेगा।
9. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा बाल देखरेख संस्थानों में आवासित 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके बच्चे के निकट भविष्य में संस्थागत देखरेख से विमुखीकरण को सुगम बनाने तथा पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम हेतु तैयार करने के लिये उन्हें पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम के तहत् व्यवसायिक/जीवन कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जोड़ा जा सकेगा। ऐसे बच्चों को व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोड़ने के लिये बिन्दु संख्या 04 में वर्णित प्रक्रिया लागू नहीं होगी।
10. बाल देखरेख संस्थान के अधीक्षक/प्रभारी द्वारा प्रशिक्षण उपलब्ध कराने हेतु बच्चों को चिन्हित कर उनकी सूची संबंधी जिला बाल संरक्षण इकाई को उपलब्ध कराई जायेगी। इकाई द्वारा प्रशिक्षण प्रदाता के संबन्धित व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में बच्चों का प्रवेश कराया जायेगा।
11. बाल देखरेख संस्थान में सूचीबद्ध बच्चों की संख्या अधिक होने पर प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा संस्थान परिसर में ही प्रशिक्षण उपलब्ध कराने हेतु संस्थान द्वारा आवश्यक व्यवस्था उपलब्ध कराई जायेगी।
12. व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के दौरान बाल देखरेख संस्थान में आवासरत बच्चे का किन्हीं कारणों से निकास होने की स्थिति में वह प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु संबंधित संस्थान में आ सकेगा अथवा वह संबंधित जिले के निकटतम प्रशिक्षण प्रदाता के माध्यम से अपना प्रशिक्षण पूर्ण कर सकेगा।
13. पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम के तहत 01 बच्चे को अधिकतम किन्हीं 02 व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जोड़ा जा सकेगा।

Scanned with CamScanner

14. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा संबंधित कार्यक्रम हेतु निर्धारित फीस एवं अन्य खर्च सीधे ही संबंधित प्रशिक्षण प्रदाता को जारी किया जायेगा।
15. जिला बाल संरक्षण इकाई एवं संगठन/संस्था द्वारा कॉरपोरेट/निजी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों/अनुभवी स्वयंसेवी प्रशिक्षण प्रदाताओं के माध्यम से भी बच्चों को रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा सकेगा।
16. प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा व्यवसायिक प्रशिक्षण पूर्ण होने उपरान्त प्रमाण–पत्र जारी किया जायेगा तथा प्रशिक्षित बच्चों के लिए रोजगार व सम्भावित उपार्जन हेतु सर्वोत्तम प्रयास किये जायेंगे।

उद्यमी कार्यकलाप (व्यवसाय/स्वरोजगार) स्थापित करने हेतु आर्थिक सहायता

17. संगठन/संस्था द्वारा संस्थागत देखरेख छोड़ने वाले ऐसे बच्चे, जो स्वरोजगार स्थापित करने के इच्छुक है तथा ऐसे रोजगार करने के लिए किसी प्रकार की योग्यता अथवा अनुभव रखते है, को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से निर्धारित आर्थिक सहायता बच्चे के बैंक बचत खाते के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेगी।
18. ऐसे बच्चे, जिन्होनें पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम के तहत् कोई व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है तथा उनके द्वारा स्वरोजगार स्थापित करने हेतु अभिरूचि व्यक्त की गई हैं, उन्हें भी स्वरोजगार स्थापित करने हेतु जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा निर्धारित आर्थिक सहायता बच्चे के बैंक बचत खाते के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेगी।
19. संगठन/संस्था द्वारा बच्चे के स्वरोजगार/व्यवसाय स्थापित करने हेतु सक्षम प्राधिकारी के स्तर पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।
20. संगठन/संस्था द्वारा बच्चे को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु विभिन्न ऋण योजनाओं (प्रधानमंत्री रोजगार योजना, अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त एवं विकास निगम, अन्य पिछड़ा/अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम की ऋण योजना इत्यादि) के अन्तर्गत रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जायेगी।

- **ऐसे व्यक्तियों की पुनर्वास योजनाओं के विषय में विचार–विमर्श करने के लिए उन्हें नियमित रूप से परामर्शदाता की सेवाएं उपलब्ध कराना।**

1. संगठन/संस्था द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम के तहत् बिन्दु संख्या 3 के उप–बिन्दु संख्या 4 के कियान्वयन के लिए संस्थागत देखरेख छोड़ने वाले बच्चे को निश्चित समय तक बाल न्यायालय या किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति के आदेशानुसार अनुभवी मनोवैज्ञानिक/परामर्शदाता/काउंसलर की सेवाएं उपलब्ध कराई जायेगी।
2. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी के स्तर से निर्मित विशेषज्ञों के पैनल में से अनुभवी मनोवैज्ञानिक/परामर्शदाता/काउंसलर की सेवाएं उपलब्ध कराई जायेगी तथा रिपोर्ट के आधार पर उन्हें सेवाएं प्रदान करने के पेटे निर्धारित मानदेय/फीस का भुगतान किया जायेगा।
3. मनोवैज्ञानिक/परामर्शदाता/काउंसलर द्वारा प्रत्येक बच्चे की मनोवैज्ञानिक/काउंसलिग रिपोर्ट तैयार की जायेगी, जिसे बच्चे की संधारित फाईल में संलग्न किया जायेगा।

Scanned with CamScanner

4. मनोवैज्ञानिक/परामर्शदाता/काउंसलर की रिपोर्ट के आधार पर संगठन/संस्था एवं जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा बच्चे के लिए उचित हस्तक्षेप एवं पुनर्वास हेतु आवश्यक कदम उठाये जायेगें।

• राज्य अथवा संस्थागत सहायता के बिना जीवन–यापन के लिए उन्हें प्रोत्साहन।

1. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा ऐसे बच्चे, जिन्हें बिन्दु संख्या 3 के उप–बिन्दु संख्या 1–6 तक वर्णित कार्यक्रमों से जोड़ा जाना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है या बच्चे द्वारा उक्त गतिविधियों में भाग लेने में अरूचि प्रकट की जाती है, को उप–बिन्दु 7 के तहत् संस्थागत सहायता के बिना जीवन–यापन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम के तहत् पुनर्वास आर्थिक सहायता के रूप में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एक मुश्त (वन टाईम) राशि प्रदान की जायेगी।
2. प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जाने वाली उक्त पुनर्वास आर्थिक सहायता जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा बच्चे के संस्थागत देखरेख में अन्तिम दिवस पर बच्चे के बैंक बचत खाते के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेगी।
3. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा बच्चे के समाज में स्थापित होने एवं उक्त राशि के समुचित उपयोग के लिए राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी के स्तर से निर्मित विशेषज्ञों के पैनल में से किन्हीं विशेषज्ञ की सेवाएं उपलब्ध कराई जायेगी।
4. संस्थागत सहायता के बिना जीवन–यापन हेतु पुनर्वास आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाले बच्चे को अन्य पश्चातवर्ती देखरेख सेवाओं से लाभान्वित नहीं किया जायेगा।

5. **<u>पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु पंजीकृत स्वयंसेवी संगठन/संस्था के चिन्हींकरण एवं जोड़ने की प्रकिया ::</u>**

1. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए समाचार पत्र में विज्ञप्ति जारी कर अनुभवी पंजीकृत स्वयंसेवी संगठन/संस्था से प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेगें।
2. संबंधित संगठन/संस्था के प्रबंधक द्वारा पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम क्रियान्वयन के लिए विस्तृत प्रस्ताव मय अपेक्षित वित्तीय सहायता के साथ संगठन/संस्था के नियम, विधान, संगम–ज्ञापन, साधारण सभा की सूची/न्यासियों की सूची, नवीन पदाधिकारियों की सूची, पदाधिकारियों का पुलिस सत्यापन, पिछले 03 वर्षों के बैंलेंस शीट (तुलन–पत्र), वार्षिक रिपोर्ट, नीति आयोग पर पंजीकरण के प्रमाण की प्रति, संगठन/संस्था द्वारा प्रदान की गई सामाजिक या सार्वजनिक सेवा के पिछले अभिलेख, बच्चों के साथ कार्य करने के 03 वर्ष के अनुभव प्रमाण–पत्र इत्यादि की प्रमाणित प्रति जिला बाल संरक्षण इकाई को प्रस्तुत की जायेगी।
3. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा प्राप्त प्रस्तावों को अध्ययन करने उपरान्त अपनी राय/अनुशंषा के साथ प्रस्ताव राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जायेगा।

Scanned with CamScanner

4. राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई से प्राप्त प्रस्तावों पर अधिकतम 01 माह में आवश्यक निर्णय लिया जायेगा। संस्था के प्रस्ताव पर सोसायटी द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।
5. राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त संबंधित संगठन/संस्था द्वारा इन दिशा–निर्देशों के तहत् बच्चों को पश्चातवर्ती देखरेख सेवायें प्रदान की जायेगी।
6. राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी द्वारा पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम के तहत् प्रत्येक जिला स्तर पर अधिकतम 03 संगठन/संस्था को अधिकृत किया जा सकेगा।
7. राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी द्वारा चिन्हित संगठन/संस्था द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का वार्षिक स्तर पर मूल्यांकन के आधार पर सेवा विस्तार किया जायेगा।

6. पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम संचालित करने वाली संगठन/संस्था की जिम्मेदारी::

1. संगठन/संस्था द्वारा पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम के तहत् कार्य करने वाले कार्मिकों का उनके क्षेत्र में दक्षता एवं अनुभव होना चाहिए ताकि वे बच्चें के विशिष्ट प्रयोजन के उद्देश्य प्राप्त कर सके।
2. संगठन/संस्था द्वारा पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम के तहत् बच्चों के समूहों के लिए उच्च स्तर की सामुदायिक सामूहिक आवास की व्यवस्था की जायेगी तथा इस व्यवस्था के प्रभावी संचालन में समूह के बच्चों की सहभागिता ली जायेगी, ताकि वे आत्मनिर्भर होकर इस व्यवस्था का संचालन कर सकें।
3. संगठन/संस्था द्वारा बच्चे के अस्थाई आवास के दौरान बच्चों की देखरेख एवं सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित संगठन/संस्था की होगी।
4. संगठन/संस्था द्वारा पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम में लाभ प्राप्त कर रहे बच्चों का विस्तृत केस–फाईल एवं उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का रिकार्ड संधारित किया जायेगा।
5. कार्यक्रम के तहत् लाभ प्राप्त कर रहे बच्चे के पहचान एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों (मूल निवास प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड, पहचान पत्र, पेन कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि) का निर्माण कराया जायेगा।
6. संगठन/संस्था द्वारा बिन्दु संख्या 3 में वर्णित सेवाओं से बच्चों का जुड़ाव एवं उनके माध्यम से बच्चों का पुनर्वास एवं समाज में पुनर्समेकन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. संगठन/संस्था द्वारा बच्चे को समय–समय पर उसके प्रकरण की अद्यतन स्थिति से अवगत कराया जायेगा तथा वह प्रकरण की गोपनीयता एवं बच्चे की निजता को बनाए रखेगा।
8. संगठन/संस्था द्वारा अपनी बाल संरक्षण नीति जारी की जायेगी, जिसे संगठन/संस्था में कार्य करने वाले प्रत्येक कार्मिक द्वारा अनिवार्यता से पालना की जायेगी।
9. संगठन/संस्था द्वारा बच्चे के साथ किसी भी प्रकार का शोषण या दुर्व्यवहार नहीं हो, इस बाबत् आवश्यक प्रबन्ध किये जायेगें।
10. संगठन/संस्था द्वारा किसी भी स्थिति में बच्चे को अमानवीय/अनैतिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं होने दिया जायेगा।

Scanned with CamScanner

11. संगठन/संस्था द्वारा बच्चे के गंभीर रोग से बीमार होने, उसके गुम होने/दुर्व्यवहार होने या उसकी मृत्यु होने की स्थिति में तत्काल संबंधित बाल न्यायालय/किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति को लिखित में सूचित किया जायेगा।
12. संगठन/संस्था द्वारा बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं एवं बच्चों में हो रहे परिवर्तन से नियमित अन्तराल पर जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से संबंधित बाल न्यायालय/किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति को अवगत कराया जायेगा।
13. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं आदर्श नियम, 2016 के प्रावधानों के पालना के अतिरिक्त राज्य सरकार तथा बाल न्यायालय/किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति द्वारा समय–समय पर जारी आदेश/दिशा–निर्देश की पालना की जायेगी।

7. पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम के तहत आर्थिक सहायता/अनुदान ::

1. राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी द्वारा अधिनियम के अंतर्गत पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम के संचालन हेतु आर्थिक सहायता/अनुदान समेकित बाल संरक्षण योजना के निर्धारित बजट मद में से किया जायेगा।
2. राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी द्वारा पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम संचालित करने के लिए आवश्यक बजट जिला बाल संरक्षण इकाई को स्थानान्तरित किया जायेगा।
3. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा संगठन/संस्था के पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम संचालित करने के प्रस्ताव को राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी की स्वीकृति प्राप्त होने उपरान्त निर्धारित अनुदान जारी किया जायेगा।
4. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम से जुडे लाभार्थियों के आधार पर संगठन/संस्था को समेकित बाल संरक्षण योजनान्तर्गत निर्धारित अनुदान जारी किया जायेगा।
5. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा बच्चे जिन्हें पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम के तहत् सामुदायिक सामूहिक आवास के लिए चिन्हित किया गया है, को दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आर्थिक सहायता रूप में संबंधित बच्चे के बैंक बचत खाते के माध्यम से कुल राशि रूपये 7,000/– हजार प्रति माह प्रति बच्चे (राशि रूपये 4,500/– आवास एवं भोजन तथा राशि रूपये 2,500/– दैनिक जरूरतों की पूर्ति के लिये) के अनुसार प्रदान की जायेगी।
6. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा बच्चे को व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम से लाभान्वित करने के लिए फीस एवं अन्य खर्च के रूप में अधिकतम राशि रूपये 3,000/– प्रति माह प्रति बच्चे के अनुसार संबंधित प्रशिक्षण प्रदाता को भुगतान किया जायेगा।
7. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा बच्चे को उच्च शिक्षा से जोडने हेतु प्रवेश के समय संबंधित शिक्षण संस्थान द्वारा निर्धारित फीस एंव अन्य कोई सुविधा/फीस (हॉस्टल, मैस फीस, ट्रांसपोर्ट, अनुरक्षण भत्ता, स्पोटर्स, स्टेशनरी, ड्रेस फीस इत्यादि) का भुगतान किया जायेगा।
8. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा बाल न्यायालय/किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति के निर्णयानुसार स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने के इच्छुक बच्चे को स्वरोजगार/व्यवसाय स्थापित करने हेतु अनुदान/आर्थिक सहायता राशि रूपये

Scanned with CamScanner

1,00,000/– या वास्तविक/अनुमानित लागत, जो भी कम हो, प्रदान की जायेगी। यह राशि 02 किस्तों (प्रथम किस्त में कुल राशि का 60 प्रतिशत् एवं द्वितीय किस्त में शेष राशि) में प्रदान की जायेगी। स्वरोजगार/व्यवसाय स्थापित करने हेतु आवश्यक व्यवस्था दुकान/स्थान स्थापित करने अथवा उपकरण, कच्चा माल आदि क्रय करने के लिए प्रथम किस्त में कुल राशि का 60 प्रतिशत दी जावेगी। लाभार्थी द्वारा प्रथम किस्त के आधार पर की गई आवश्यक व्यवस्था (दुकान/स्थान स्थापित करने अथवा उपकरण, कच्चा माल आदि क्रय करने) के सत्यापन के पश्चात् इकाई द्वारा शेष राशि का भुगतान किया जावेगा। यह अनुदान/आर्थिक सहायता राशि संबंधित बच्चे के बैंक बचत खाते के माध्यम से प्रदान की जायेगी।

9. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा ऐसे बच्चे, जिन्हें बिन्दु संख्या 3 के उप–बिन्दु संख्या 1–6 तक वर्णित कार्यक्रमों से किन्हीं कारणों से नहीं जोड़ा जा सकता है, अथवा ऐसे बच्चे, जो उक्त कार्यक्रमों से जुड़ने के इच्छुक नहीं है, को संस्थागत सहायता के बिना जीवन–यापन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु पुनर्वास आर्थिक सहायता के रूप में एक मुश्त (वन टाईम) राशि रूपये 54,000/– हजार प्रति बच्चे (राशि रूपये 4,500/– आवास एवं भोजन हेतु प्रति माह के अनुसार वार्षिक सहयोग राशि) प्रदान की जायेगी।
10. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा ऐसे बच्चे, जिन्हें किसी प्रशिक्षण अथवा शिक्षण कार्यक्रम के दौरान संबंधित संस्थान में उपलब्ध हॉस्टल/आवासीय सुविधा से जोड़ा गया हैं, तो उन्हें दैनिक जरूरतों की पूर्ति के लिये राशि रूपये 2,500/– प्रति माह प्रति बच्चे के अनुसार सहयोग राशि प्रदान की जायेगी।
11. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम के तहत् चिन्हित संबंधित संगठन/संस्था को निर्धारित कार्यों के प्रभावी निष्पादन तथा कार्यक्रम से जुड़े बच्चों के पर्यवेक्षण एवं सतत् सहयोग के लिए राशि रूपये 1,500/– प्रति माह प्रति बच्चे के हिसाब से अनुदान प्रदान किया जायेगा।
12. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम के तहत् मनोवैज्ञानिक/परामर्शदाता/काउंसलर की सेवाओं के पेटे संबंधित संगठन/संस्था के प्रमाणीकरण एवं बिल प्रस्तुत करने पर राशि रूपये 700/– प्रति विजिट प्रति बच्चे के हिसाब से मानदेय प्रदान किया जायेगा।
13. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा बच्चों को मासिक स्तर पर आर्थिक सहायता जारी की जायेगी।
14. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम के तहत् चिन्हित संबंधित संगठन/संस्था को त्रैमासिक स्तर पर किये गये कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने एवं संगठन/संस्था द्वारा बच्चों को प्रदान किये जा रहे सहयोग/मार्गदर्शन के संबंध में संबंद्ध बच्चों से प्रति पुष्टि (फीडबैक) के आधार पर त्रैमासिक अनुदान जारी किया जायेगा।
15. जिला बाल संरक्षण इकाई एवं संबंधित संगठन/संस्था द्वारा पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम के प्रभावी कियान्वयन एवं इसके सुदृढीकरण के लिए कॉर्पोरेट्स सोशल रिस्पोंसब्लिटी (सी.एस.आर.) के तहत् सहयोग प्राप्त किया जा सकेगा।

Scanned with CamScanner

8. अनुवर्तन/संचालन/समीक्षा ::

1. राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी द्वारा बाल संरक्षण के क्षेत्र में अग्रणी कार्य कर रही स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से संस्थागत देखरेख छोड रहे अथवा बाहर निकलने वाले बच्चे का राज्य स्तर पर नेटवर्क स्थापित किया जायेगा, ताकि ऐसे बच्चों को अपेक्षित सहयोग एवं सतत् मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा सके।
2. राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी द्वारा वार्षिक स्तर पर पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम से जोड़े गये बच्चों का सम्मेलन आयोजित किया जायेगा, ताकि बच्चे आपस में अपने अनुभव, चुनौतियों को साझा कर सके तथा उनका एक समूह तैयार हो पाये, जो भविष्य में एक दूसरे के सहयोगी बन सके।
3. राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी द्वारा बाल संरक्षण विशेषज्ञों का एक पैनल भी तैयार किया जायेगा, ताकि बच्चों को नियमित रूप से उचित परामर्श/मार्गदर्शन प्रदान किया जा सके।
4. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा इन दिशा–निर्देशों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम से जोड़े गये बच्चों का मास्टर रजिस्टर का संधारण एवं अन्य अपेक्षित दस्तावेजीकरण किया जायेगा।
6. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम के तहत बच्चों एवं संगठन/संस्था को अन्य विभागों/एजेसियों के माध्यम से भी सहयोग उपलब्ध कराया जायेगा।
7. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त बच्चों की सूची जिले में रोजगार उपलब्ध करवाने वाली राजकीय/गैर राजकीय संस्था से साझा करेगा ताकि बच्चों को रोजगार से जोड़ा जा सके।
8. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा मासिक स्तर पर पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम संचालित करने वाली संगठन/संस्था का पर्यवेक्षण एवं सामुदायिक सामूहिक आवास का निरीक्षण किया जायेगा।
9. बाल न्यायालय/किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति द्वारा निर्मुक्ति पश्चात योजना (Post Release Plan) के अनुसार पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम निगरानी करते समय प्रभावी उत्पादकता तथा जिस प्रयोजन के लिए बच्चे के इस कार्यक्रम से जोड़ा गया है, उसी प्रयोजन के लिए कार्यक्रम का संचालन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
10. बाल न्यायालय/किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई से पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम से जोड़े गये बच्चे की प्रगति रिपोर्ट प्राप्त की जा सकेगी।
11. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम के बेहतर संचालन हेतु संबंधित संगठन/संस्था को आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जायेगा।
12. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम के तहत लाभान्वित बच्चे का 02 वर्ष तक फॉलोअप किया जा सकेगा।
13. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम संचालित करने वाली संगठन/संस्था की सेवाओं से असंतुष्ट होने की स्थिति में बच्चों को अन्य किसी

Scanned with CamScanner

अधिकृत संगठन/संस्था द्वारा संचालित पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम से जोड़ने के संबंध में आदेश किये जा सकेगें।

14. पश्चातवर्ती देखरेख (After Care) कार्यक्रम दिशा–निर्देश, 2020 के निर्वचन, विवेचन एवं संशोधन की शक्तियां राज्य सरकार में निहित होगी।

यह आदेश वित्त विभाग, राजस्थान की आई.डी. संख्या 132000162 दिनांक 08.09.2020 के अनुसरण में जारी किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(महेश चन्द्र शर्मा)
आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव
एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राजस्थान स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी

क्रमांकः एफ 47 ( ) ( ) बा.अ.वि./आई.सी.पी.एस./पश्चातवर्ती देखभाल/दिशा–निर्देश/17/74373-961 दिनांकः 15/10/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार एवं अध्यक्ष, राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी, राजस्थान।
3. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राज. जयपुर।
4. संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय–2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. समस्त पीठासीन अधिकारी, बाल न्यायालय (चिल्ड्रन कोर्ट)।
6. समस्त जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, जिला बाल संरक्षण इकाई।
7. समस्त प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट/सदस्य, किशोर न्याय बोर्ड।
8. समस्त अध्यक्ष/सदस्य, बाल कल्याण समिति।
9. लेखाधिकारी, राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी।
10. समस्त सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग।
11. समस्त अधीक्षक, राजकीय सम्प्रेक्षण गृह/विशेष गृह/सुरक्षित अभिरक्षा/किशोर गृह/बालिका गृह।
12. समस्त सचिव/अधीक्षक/प्रभारी, गैर राजकीय बाल गृह/बालिका गृह/खुला आश्रय।
13. रक्षित पत्रावली।

15-10-2020

उप निदेशक, आईसीपीएस

Scanned with CamScanner